राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2021 जयपुर, दिनांकः 28 फरवरी, 2021

आयुक्त,
आबकारी विभाग,
राजस्थान, उदयपुर

विषयः आबकारी बंदोबस्त एवं आबकारी नीति वर्ष 2021-22 के प्रावधानों के संबंध में।

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक 2367 दिनांक 27.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपके प्रस्तावानुसार आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2021-22 के निम्नलिखित बिन्दुओं में संशोधन किया जाता हैः-

1. **वार्षिक गारण्टी राशि में समायोजन (बिन्दु संख्या 2.8)**

वर्ष 2021-22 के लिए न्यूनतम रिजर्व प्राइस से नीलामी में अधिक प्राप्त होने वाली राशि 12 बराबर किश्तों में जमा कराने या किसी भी प्रकार की मदिरा उठाव में समायोजन योग्य होगी। न्यूनतम रिजर्व प्राइस में BIO मदिरा की फीस राशि भी सम्मिलित होगी।

2. **अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि (बिन्दु संख्या 2.9)**

अनुज्ञाधारी को वर्ष 2021-22 के लिये वार्षिक गारण्टी राशि का 8 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत राशि अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि के रूप में राजकोष में जमा करानी होगी एवं यह राशि माह मार्च, 2022 में समायोजन योग्य होगी।

3. **धरोहर राशि (बिन्दु संख्या 2.10)**

4 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत किया जाता है।

4. **कम्पोजिट फीस (बिन्दु संख्या 4.2(ii))**

वर्ष 2021-22 हेतु कम्पोजिट शुल्क की 50 प्रतिशत राशी दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व तथा शेष 50 प्रतिशत राशि आगामी तीन माह की अवधि में जमा करानी होगी। बिन्दु संख्या 4.6 को हटाया जाता है।

आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के ऊपर अंकित प्रावधानों के संदर्भ में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करावें। आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2021-22 के उपरोक्त बिन्दुओं के शेष एवं अन्य समस्त प्रावधान पूर्वानुसार यथावत रहेंगे।

आबकारी एवं मद्यसंयम नीति एवं इसके पश्चात् जारी स्पष्टीकरण/संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में जारी किये जाने वाले नोटिफिकेशन के प्रारूप शीघ्र प्रेषित करावें। वर्ष 2021-22 हेतु आबकारी बंदोबस्त की कार्यवाही को अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2021 तक पूर्ण कर विभाग को सूचित करावें।

भवदीय,

28/2/21
(टी. रविकान्त)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)